# न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर

पीठासीन अधिकारी :– श्री संजय कुमार आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या :– 154/2022 अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट

आकाशदीप पुत्र बलजीतसिंह उम्र 17 वर्ष नाबालिक जरिये कुदरती संरक्षक माता जैलो पत्नि बलजीतसिंह जाति बाजीगर निवासी भरोलावाली तहसील राणियां जिला सिरसा हरियाणा।

–प्रार्थी

बनाम

बलजीतसिंह पुत्र स्व. सन्तासिंह जाति बाजीगर निवासी भरोलावाली तहसील राणियां जिला सिरसा, हरियाणा।

–अप्रार्थी

उपस्थितः– श्री अनिल सिहाग वकील–प्रार्थी

श्री विनोदकुमार स्वामी वकील–अप्रार्थी

निर्णय दिनांक– 16/12/2024

संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी द्वारा दिनांक 15.09.2022 को विरूद्ध अप्रार्थीगण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम जरिये वकील पेश किया गया कि प्रार्थी के दादा सन्तासिंह के नाम से रोही मौजा चक नम्बर 9 बी.पी.एम. के खाता संख्या 33/82 के पत्थर नम्बर 197/406 (11) के किला नम्बर 4/1, 5/1, 6, 7/1, 14 ता 17, 24, 25 व पत्थर नम्बर 197/408 (31) के किला नम्बर 11 ता 13, 18 ता 23 व पत्थर नम्बर 197/409 (38) के किला नम्बर 1 ता 3, 8 ता 13, 18 ता 20, 21/2, 22/2, 23/2 व पत्थर नम्बर 198/405 (10) के किला नम्बर 1/2, 10/2 की कुल 8.7170 हैक्टेयर में से 2179/8717 हिस्सा यानि 2.1790 हैक्टेयर कमाण्ड अनकमाण्ड कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड हैं। प्रार्थी के दादा सन्तासिंह का स्वर्गवास हो चुका हैं। जिसके विधिक वारिसान प्रार्थी व अप्रार्थी व दावा के प्रतिवादी संख्या 2 ता 7 है। उपरोक्त भूमि पैतृक सम्पति हैं। जिस कारण उक्त भुमि में प्रार्थी का जन्म से ही एक हिस्सा है अर्थात अप्रार्थी के हिस्सा की कृषि भूमि में अप्रार्थी संख्या 1 व प्रार्थी ब.हि.ब. के खातेदार काश्तकार हैं प्रार्थना पत्र की मद संख्या 3 में वर्णित कृषि भूमि पर प्रार्थी अपने हिस्सा अनुसार काबिज चले आ रहे हैं। उपरोक्त आराजी संयुक्त हिन्दू परिवार की पैदाकर्दा सम्पति हैं। अप्रार्थी स्वर्गीय सन्तासिंह की कृषि भूमि को अपने नाम से दर्ज करवाने की फिराक में हैं जबकि उपरोक्त भुमि में प्रार्थी का जन्म से हक व हिस्सा निहित हैं। अप्रार्थी अन्य परिवारजन के सदस्यों के प्रभाव में हैं। उक्त कृषि भूमि राजस्व रिकॉर्ड में अप्रार्थी अपने नाम दर्ज करवाकर उक्त कृषि भूमि को अन्य लोगों के प्रभाव में आकर रहन बैय करने पर उतारू हैं लेकिन प्रार्थी उक्त भुमि में अपना हक व हिस्सा की घोषणा करवाकर हक व हिस्सा के मुताबिक दर्ज करवाने के हकदार व दावेदार हैं। प्रार्थना की दफा 4 में वर्णित कृषि भूमि स्वर्गीय सन्तासिंह की सम्पति हैं। जिसमें प्रार्थी का जन्म से हक व हिस्सा निहित हैं। उक्त सम्पति अप्रार्थी बतौर हिन्दू खानदान विरास्तन प्राप्त हुई है तथा अब अप्रार्थी के मन में बदनियती आ जाने तथा अप्रार्थी अन्य के प्रभाव में आकर प्रार्थी को उसके हिस्सा की भूमि से बेदखल कर उक्त आराजी को दिगर व्यक्तियों को रहन बैय व हस्तान्तरण करने पर आमादा हैं। अगर वह इस मकसद में कामयाब हो गया तो प्रार्थी को हर्जा से भी ना पुरा होने वाला नुकसान होगा जिसकी भरपाई किसी प्रकार से नहीं हो सकेगी व आईन्दा मुकदमें बाजी बढ़ेगी तथा प्रार्थी अपने हक व हिस्सा से महरूम हो जायेगा तथा प्रार्थी के भूखे मरने की नौबत आ जायेगी। इसलिए प्रार्थी, अप्रार्थी के

Signature Not Ver
Digitally signed by Sa
Date: 2024.12.20 15:
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
रावतसर

विरूद्ध इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी हैं कि अप्रार्थी प्रार्थना पत्र की मद संख्या 4 में वर्णित कृषि भूमि में से अपने हक व हिस्सा की कृषि भूमि को अपने नाम दर्ज करवाकर आराजी को रहन बैय व हस्तान्तरण करने से बाज व ममनू रहें। 8. यह कि प्रार्थी ने अप्रार्थी को कई बार कहा कि वह प्रार्थना पत्र की मद संख्या 4 में वर्णित प्रार्थी की पैतृक कृषि भूमि में प्रार्थी हक व हिस्सा स्वीकार करके अच्छी मांडी के हिसाब से विभाजन करके भु राजस्व अभिलेख में अंकन करवा ले लेकिन अप्रार्थीगण ने ऐसा करने से दिनांक 10.09.2022 को स्थान चक 9 बी.पी.एम. तहसील रावतसर में स्पष्ट इंकार हो गया तथा ऐलानियां तौर पर धमकी दी कि वह जल्द ही उक्त कृषि भूमि को अपने नाम दर्ज करवाकर दिगर व्यक्तियों को रहन बैय करेगा। यदि अप्रार्थी अपने मकसद में कामयाब हो गया तो प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति कारित होगी तथा प्रार्थी अपनी पैतृक सम्पति से वंचित हो जायेंगे। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के साथ दस्तावेजों की सूची मय दस्तावेज 9 बीपीएम बहक सन्तासिंह वगैरह, फोटोप्रति आधारकार्ड पेश किये।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी ने जरिये वकील श्री विनोदकुमार स्वामी उपस्थित आकर जबाब प्रार्थना पत्र पेश किया। अपने जबाब में अप्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र की मद सं. 1, 2 को अस्वीकार, मद सं. 3 को स्वीकार, मद सं. 4 में लिखा किसंतासिंह के नाम भूमि होना स्वीकार है। लेकिन संतासिंह का देहान्त हो चुका है और मंहगासिंह का देहान्त हो चुका है। अप्रार्थीगण द्वारा राजस्व रिकॉर्ड में उक्त भूमि का अंकन करवाना चाहते है और राज्य सरकार द्वारा दी जा रही सुविधाओ से वंचित होना पड़ रहा है। लेकिन प्रार्थी द्वारा उक्त नामान्तरण कार्यवाही को रोकने व राज्य सरकार द्वारा दी जा रही सुविधाओ से वंचित करने की नियत से माननीय न्यायालय से स्थगन आदेश जारी करवाया है। उक्त स्थगन आदेश खारिज फरमाया जावे। प्रार्थना पत्र की मद संख्या 5 अस्वीकार है। जब अप्रार्थी के नाम कोई कृषि भूमि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज ही नहीं है तो प्रार्थी के नाम ब हि बराबर दर्ज होने का मतलब ही नही है। प्रार्थी का उक्त कृषि भूमि पर कोई कब्जा नही है और न ही खातेदार काश्तकार है। इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे। प्रार्थना पत्र की मद संख्या 6 अस्वीकार है। उक्त कृषि भूमि राजस्व रिकॉर्ड में संतासिंह के नाम दर्ज है लेकिन संतासिंह का देहान्त हो चुका है और संतासिंह के पुत्र महंगासिंह का भी देहान्त हो चुका है। लेकिन प्रार्थी द्वारा मृतक मंहगासिंह के विरूद्ध वादपत्र प्रस्तुत किया गया है। उक्त वादपत्र मृतक के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है। इसलिए खारिज फरमाया जावे। अप्रार्थी के नाम राजस्व रिकॉर्ड में कृषि भूमि दर्ज नही है इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं है। प्रार्थी खातेदार काश्तकार नही है। प्रार्थी द्वारा तहसीलदार राजस्व [illegible] के समक्ष चल रही नामान्तरण की कार्यवाही को रूकवाने हेतु उ[illegible] [illegible]माया जावे। मद संख्या 7 अस्वीकार है। जब अप्रार्थी के नाम कोई कृषि भू[illegible] [illegible] ही नही है तो प्रार्थी को बेदखल करने व हिस्सा को रहन बैय करने का मतलब ही नही है। प्रार्थी ने मिथ्या आधारो पर वादपत्र व प्रार्थना पत्र मृतक विरूद्ध प्रस्तुत किया है। प्रार्थी ने तहसीलदार राजस्व के समक्ष विरासतन कार्यवाही को रूकवाने हेतु मनगढत कहानी बनाकर वादपत्र व प्रार्थना पत्र पेश किया है। जो खारिज फरमाया जावे। जब अप्रार्थी के नाम कोई कृषि भूमि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नही

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Kumar
Date: 2024.12.20 15:07:05 IST
Reason: SelfAttested

है तो अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाने का मतलब ही नही है। मद संख्या 8 अस्वीकार है जब अप्रार्थी के नाम कोई कृषि भूमि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नही है। तो हक व हिस्सा दर्ज करवाने व अच्छी माड़ी के हिसाब से खाता विभाजन करवाने का मतलब ही नही है प्रार्थी द्वारा उक्त मद वादकरण हासिल करने की नियत से झूठी दर्ज की गई है। इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जाये। मद संख्या 9 अस्वीकार है। जब अप्रार्थी के नाम कोई कृषि भूमि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नही है। तो प्रार्थी को वंचित करने का मतलब नहीं है। प्रार्थना पत्र की मद संख्या 10 अस्वीकार है। प्रार्थी द्वारा उक्त वादपत्र व प्रार्थना पत्र मृतक व्यक्ति के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है और अप्रार्थी के नाम कोई कृषि भूमि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नही है तो प्रार्थी का प्रथम दृ ष्टया मामला सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति कारित होने का मतलब ही नही है। प्रार्थी द्वारा बिना किसी विधिक अधिकार के खिलाफ कानूनी रंजिशवंश तहसीलदार राजस्व रावतसर के विरूद्ध चल रही कार्यवाही को रूकवाने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया है। जो खारिज फरमाया जावे। वकील अप्रार्थी ने अपने जबाब के साथ दस्तावेजो की सूची मय दस्तावेज प्रार्थना पत्र तहसीलदार दिनांक 19.06.2024 मय पटवारी रिपोर्ट की प्रति पेश किये।

वकुलाए फरिकैन की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण ने लिखित बहस प्रस्तुत की। अपनी बहस में प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए दिनांक 15.09.2022 को जारी स्थगन को ताफसैला वाद कनफर्म किया जावे। दूसरी तरफ वकील अप्रार्थी ने लिखित बहस प्रस्तुत की।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड व वकुलाए फरिकैन की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि वादग्रस्त भूमि सन्तासिंह पुत्र श्यामसिंह के नाम की खातेदारी कृषि भूमि है। सन्तासिंह दिनांक 02.05.2018 को फोत हो चुका है। सन्तासिंह के नाम दर्ज भूमि में प्रार्थी का हक हिस्सा निहित है जिसका निर्धारण मूल वाद में होना है। इसलिये मूल वाद के निस्तारण तक वाद भूमि को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा सरक्षित रखा जाना उचित प्रतीत होता है। अतः इस न्यायालय द्वारा दिनांक 15.09.2022 को जारी अस्थाई निषेधाज्ञा सन्तासिंह पुत्र श्यामसिंह के 2179/8717 हिस्सा पर ताफैसला वाद कनफर्म की जाती है तथा जमाबन्दी में दर्ज अन्य सहकाश्तकारान स्थगन से प्रभावित नहीं होगें। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे ईजलास आज दिनांक 16/12/2024 को सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanjay Kumar
Date: 2024.12.20 15:07:05 IST
Reason: SelfAttested